भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1295

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

केरल के मावेलीक्करा निर्वाचान क्षेत्र में नई बैंक शाखाएं और एटीएम

1295. श्री कोडिकुन्नील नील सुरेश:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 01 जून 2024 और 30 जून 2025 के बीच केरल के मावेलीक्करा निर्वाचन क्षेत्र में नई शाखाएं और एटीएम खोलने के लिए राष्ट्रीयकृत और निजी बैंकों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है;

(ख) इन प्रस्तावों की अनुमोदित, अस्वीकृत और लंबित मामलों सहित बैंक-वार और स्थान-वार स्थिति क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्वाचन क्षेत्र में वास्तव में खोली गई शाखाओं और एटीएम की तिथियों सहित संख्या कितनी है;

(घ) 2024-25 के दौरान इस निर्वाचन क्षेत्र में प्राप्त शिक्षा ऋण आवेदनों के आवेदक की समाजिक श्रेणी (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य), सिबिल स्कोर ब्रैकेट और स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदनों की संख्या सहित शाखा-वार आंकड़े क्या हैं तथा उन्हें अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए शिक्षा ऋण की उचित सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कोई संशोधित दिशानिर्देश जारी करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में बैंकिंग आउटलेट आरंभ करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसकी देखरेख राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समिति (यूटीएलबीसी) द्वारा संबंधित राज्य सरकार, सदस्य बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श से की जाती है। बैंक, अन्य बातों के साथ-साथ, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों, अपनी व्यावसायिक योजनाओं और अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आलोक में बैंकिंग आउटलेट खोलने के प्रस्तावों पर विचार करते हैं। बैंकिंग आउटलेट खोलने की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए, बैंक आवश्यकतानुसार सर्वेक्षण करते हैं। बैंकों द्वारा प्राप्त ऐसे प्रस्तावों के लिए आंकड़ों का रखरखाव केंद्रीय रूप से नहीं किया जाता है।

मवेलिक्कारा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीन जिलों अर्थात कोट्टायम, अलप्पुझा और कोल्लम के सभी स्थानों पर 5 किलोमीटर के दायरे में या तो एक भौतिक शाखा या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) केंद्र है।

एसएलबीसी केरल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 01.06.2024 से 30.06.2025 की अवधि के दौरान मावेलिक्कारा निर्वाचन क्षेत्र में 6 बैंक शाखाएं नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार खोली गई हैः-

क्र. सं.	**बैंक**	**कार्य-क्षेत्र**	**उद्घाटन की तिथि**
1	एचडीएफसी बैंक	कोट्टारक्करा	18-09-2024
2	एचडीएफसी बैंक	मावेलिक्कारा	23-09-2024
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	पठानपुरम	15-07-2024
4	बैंक ऑफ बड़ौदा	मन्नार	19-03-2025
5	बैंक ऑफ बड़ौदा	चारुम्मुडु	19-03-2025
6	आईडीबीआई बैंक	कोट्टारक्करा	15-03-2025

बैंकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मन्नार और चारुमूडू में बैंक ऑफ बड़ौदा की दो शाखाओं को छोड़कर खोली गई सभी नई शाखाओं में एटीएम लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार इस अवधि के दौरान इस निर्वाचन क्षेत्र में 2 और नए एटीएम लगा दिए गए हैं।

शाखाओं के अतिरिक्त खोले गए एटीएम की संख्या			
क्र. सं.	**बैंक का नाम**	**कार्य-क्षेत्र**	**उद्घाटन की तिथि**
1	साउथ इंडियन बैंक	सेंट गिट्स कॉलेज, पथमुट्टम	21.11.2024
2	साउथ इंडियन बैंक	प्लेसिड विद्या विहार	24.01.2025

(घ) और (ङ): शिक्षा ऋण आवेदनों के शाखा-वार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार की गई मॉडल शिक्षा ऋण योजना को अपनाने की सलाह दी है। यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सहित समाज के सभी वर्गों पर लागू है।

दिनांक 06.11.2024 को आरंभ की गई पीएम विद्यालक्ष्मी योजना, मेधावी छात्रों को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है ताकि वित्तीय बाधाएं किसी भी युवा को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से न रोक सकें। यह योजना देश के 860 शीर्ष गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश पाने वाले मेधावी छात्रों को शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान करती है और इन क्यूएचईआई के मेधावी छात्रों को सरल, पारदर्शी, छात्र-अनुकूल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त शिक्षा ऋण लेने में सक्षम बनाती है।

****